राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

''वित भवन'' जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ. 3(ख)/च.वे. 90/अलेसे–II/2020–21 / 829 दिनांकः– 12/11/21

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ6/ 2/एफ.डी/रूल्स/98 दिनांक 17.02.1998 के अनुसरण में श्री कैलाश चन्द चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 9 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500–175–9000) में स्वीकृत किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं./ लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	प्रथम चयनित वेतनमान तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.*	कैलाश चन्द चौधरी 12.08.1963	545/90 3147	03.01.1994	03.01.2003	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय

*श्री कैलाश चन्द चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के गत सात वर्ष में से सात वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन उपलब्ध नही होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन की उलब्धता के आधार पर अथवा आगामी वर्षो में प्राप्त मूल्याकंन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1(20)ग्रुप–2/92 दिनांक 23.04.1994 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)(डीओपी)/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.1998 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:–

1 पुनरीक्षित वेतनमान 1998 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2 पूर्व में प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृति नहीं की गई है।
3 कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित प्रथम चयनित वेतनमान देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4 इनके विरूद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5 गत 7 वर्षो से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांकः– एफ. 3(ख)/च.वे. 90/अलेसे–II/2020–21/ 829 दिनांकः– 12/11/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II ....
4. निजी सचिव, निदेशक
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।
6. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)